

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 72/3030-गवन/जोन-2/शगन/2013-14 दिनांक 26/12/2013

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उज्जैन नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 22 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अंग्रेजी में समझाने वाली इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शगन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इलाका स्तरीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नसिकाता अधिकारों पर किसी का कोई असर नहीं। अर्थात् यह अनुमति किसी के विवेकान्त या व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री प्रेम नाथ पाठक, श्री कामेश्वर नाथ पाठक, श्री रामेश्वर नाथ पाठक पुत्रगण चन्द्रकेश्वर नाथ पाठक, श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व. प्राण नाथ पाठक द्वारा 118 दिवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत वाइडर विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपरोक्त उद्देश्य के अनुमोदन हेतु दिनांक 07.12.2013 के द्वारा निम्नलिखित शर्तियों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उज्जैन नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्रावधानों के अनुसृत्य पूर्णता प्राप्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही उपरोक्त/उपयोग किया जायेगा, गवन निर्माण एवं विकास अधिनियम 2005 में उपरोक्त संख्या 2.1.8 एवं 3.1.0 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूप पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्राप्ति-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृति प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
4. प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक 15.12.2013 में दिये गये शर्तों के अनुसार गवन निर्माण एवं विकास अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अशामनीय भाग को पारित कराकर प्राधिकरण को अग्रगत करना होगा।
5. दायर की संख्या-409 सं. 1993 में मुस्फ (बिस्) इलाहाबाद के न्यायालय में विद्यमान मानचित्र स्वीकृति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर मानक लिये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर प्राधिकरण को अग्रगत करना होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई गप होने अथवा उपरान्त होने के रिश्ते में उदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, व्यक्ति सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वीकृति निरस्त समझा जायेगा।
7. यदि आवश्यक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना निर्धार्य गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उज्जैन नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. मकान निर्माण से यदि किसी के रुद्ध की गयी अथवा रुद्ध या नली के किसी भाग (जो मकान के अंग भाग, पूरक भाग अथवा उसके आकार के कारण बक गये हों) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कर तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्णता अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो सके, में कर देगा।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1957 (इंफिडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1957) नियम 82 का सम्बन्धन किसी भी तरह में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकता है।
10. अपेक्षित धो नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान उबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का सम्बन्धन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


प्रतिक्रिया
कामेश्वर नाथ पाठक
26-12-2013

(को-को-वि) 13
गवानी अधिकारी (उज्जैन)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद


11/10/2013
12/06/2013




HEWET ROAD
GROUND PLAN



TERRACE PLAN




SEC AT A B



KEY PLAN

- NOTE:
- 1- TOTAL AREA = 2550^{sq} ft. 230.70^{sq} m
 - 2- LAND/PLT AREA = 225^{sq} ft. 20.87^{sq} m
 - 3- COMPOUND AREA = 915^{sq} ft. 85^{sq} m
 - 4- OPEN AREA = 720^{sq} ft. 66.71^{sq} m
 - 5- COMPOUND WORK SHOWN IN YELLOW
 - 6- ALSO UNDER PROCEEDING WORK SHOWN IN GREEN
- SECTION THROUGH



ELEVATION



SITE PLAN

COMPOUND BUILDING PLAN OF HOUSE
NO. 116 AT HEWET ROAD, ALLAHABAD.

SCALE: 8-1"

- OWNER:
- 1- SRI PRAN NATH PATHAK
 - 2- SRI PREM NATH PATHAK
 - 3- SRI KAMESHWAR NATH PATHAK
 - 4- SRI RAMESHWAR NATH PATHAK

SIC OF OWNER
1. SRI PRAN NATH PATHAK
2. SRI PREM NATH PATHAK
3. SRI KAMESHWAR NATH PATHAK
4. SRI RAMESHWAR NATH PATHAK

SIC OF DESIGNER
[Signature]
ARVIND KUMAR
ARCHITECTURE & ENGINEERING
PRACTICE
11/10/2013
12/06/2013